कार्यालय संभागीय उपायुक्त
अनुसूचित जाति एवं जनजातीय कार्य
जबलपुर संभाग जबलपुर

क्रमांक / शिक्षा स्था.3 / 765 / मा.शि. / 2021 / भोपाल दिनाक 08/4/202[illegible]

/ /आदेश/ /

मध्यप्रदेश जनजातीय एवं अनुसूचित जाति शिक्षण संवर्ग (सेवा एवं भर्ती नियम) 2018 के नियम 5 (4) (क) के अनुसार प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा माध्यमिक शिक्षक पद हेतु आयोजित पात्रता परीक्षा परिणाम के आधार पर भर्ती हेतु जारी विज्ञापन दिनांक 24.06.2021 को जारी किया गया । इस क्रम में जारी प्रतीक्षा चयन सूची के अभ्यार्थियों के दस्तावेज सत्यापन उपरांत पात्र पाए गए अभ्यर्थियों को माध्यमिक शिक्षक के पद पर हिन्दी विषय में उनके नाम के समक्ष अंकित विद्यालय में निम्नानुसार पदस्थ किया जाता है ।

SN	NAME	Address	ROLLNO	RANK	CATEGORY	SELECTED_CATEGORY	Posting Place	District-Block
1	VIPIN KUMAR CHOUBEY	H NO 134 GURU MOHALLA WARD NO 9 PATAN PATAN JBP MADHYA PRADESH 483113	84938952	49	UR	UR/X/OP	GGMS LAKHNADONI 23440600823	Seoni-[illegible]
2	RITU KATARE	B-12 GAYATRI ENCLAVE MANORAMA COLONY SAGAR SAG MADHYA PRADESH 470001	85063495	76	UR	UR/X/F	HSS Girls TAMIA-23430506718	Chhindwara-Tamia
3	PIYUSH JAIN	DURGA NAGAR SURKHI DURGA NAGAR SAGAR SAG MADHYA PRADESH 470221	85043109	91	EWS	EWS/X/OP	HS SARASDOL 23440701903	Seoni-Ghansore
4	NEERAJ KUMAR TIWARI	HEERA BHAVAN KE BAJU ME BARGHAT ROAD MAHAVEER WARD SEONI SEONI SEO MADHYA PRADESH 480661	84942819	138	UR	GEUR/X/OP	HS GORAKHPUR 23441505204	[illegible] Chhapara
5	VEERENDRA SINGH RAJPOOT	569 SHANTI COLONY DHANORA DHANORA DHANORA SEO MADHYA PRADESH 480999	84950732	171	EWS	GEUR/X/OP	HSS KAHANI-23440709611	Seoni-Ghansore
6	RAJ KISHOR KUSHWAHA	145 GRAM MADHA POST MUDERI LAVKUSHNAGAR CHT MADHYA PRADESH 471515	85041993	218	OBC	OBC/X/OP	HS Andol-23431017305	Chhindwara-Harrai
7	BRAJESH KUMAR PATEL	18 KAUSHALPUR RANEH HATTA DAM MADHYA PRADESH 470775	84885322	226	OBC	OBC/X/OP	HS BAGLAI-23440619803	Seoni-Lakhnadon

8	DEEPA SONI	000 GRAM CHITOURA SAGAR SAGAR SAG MADHYA PRADESH 470051	85043836	233	OBC	OBC/X/F	HSS SIHORA-23440603406	Seoni-Lakhnadon
9	BHUMENDRA UMEDLAL CHOUDHARY	WARD NO 7 GANDHI CHOK VILAGE KATEDARA TIRODI BLG MADHYA PRADESH 481445	84946964	234	OBC	OBC/X/OP	HS GWARI-23440403204	Seoni-Kurai
10	RAKSHA BISEN	WARD NO 03 PATHARWADA ROAD KATANGI KATANGI BLG MADHYA PRADESH 481445	84940753	247	OBC	OBC/X/F	HS VIJAYPANI-23440412205	Seoni-Kurai
11	SUNITA BHOYAR	AT KANCHANA POST BAMHANI TEH BARGHAT SEONI SEO MADHYA PRADESH 480667	84940876	267	OBC	OBC/X/F	HS BELPETHI-23440401204	Seoni-Kurai
12	PRATIMA CHOURASIYA	AT POST CHAKKI KHAMARIYA TEH KURAI SEONI SEONI CHD MADHYA PRADESH 480001	84943653	313	OBC	OBC/X/F	HSS CHAKKIKHAMARIYA-23440414301	Seoni-Kurai
13	SWETA RAKHELE	AT INDORI POST ANTRA TEH BARGHAT BARGHAT SEO MADHYA PRADESH 480667	84668931	1111	SC	SC/X/F	HS ANJANIYA 23440505106	Seoni [illegible]
14	TEERATH DAS SURJE	H NO 99 VILLAGE PINDRUKHI POST KUKARRAMATH TEH BAJAG DND MADHYA PRADESH 481880	84940016	2389	SC	SC/X/OP	MS PINDRUKHI-23411100204	Dindori Bajag
15	KAILASH WANKHERE	GRAM CHIKHLI POST CHIKHLI THANA KURAI KURAI SEO MADHYA PRADESH 480880	84664566	2431	SC	SC/X/OP	HSS CHAMARIKHURD 23440503712	Seoni-Chhapara
16	MAHENDRA KUMAR DEHARIYA	MEHLON POST GHOGHARI AMARWARA CHD MADHYA PRADESH 480221	84940268	2465	SC	SC/X/OP	HS Jhirna-23431023506	Chhindwara-Harrai
17	BABITA DOHAIYA	MUSHRAN WARD SANKAL ROAD NEAR DR IQBAL KANDELI NSP MADHYA PRADESH 487001	84950269	3088	SC	SC/X/F	Ms Churisajwa 23431007501	Chhindwara-Harrai
18	POONAM VASNIK	AT AMGAON POST PALA TAH KIRNAPUR KIRNAPUR BLG MADHYA PRADESH 481115	84948454	3184	SC	SC/X/F	School High School Bithli Tahseel Baihar 23450907304	Balaghat Baihar

19	VINITA AHIRWAR	0 WARD NO 09 TAKIYA MUHALLA SHAHGARH TEHSIL SHAHGARH SAG MADHYA PRADESH 470339	85061759	3473	SC		SC/X/F	GMS BHILMA 23440622202	Seoni-Lakhnadon
20	PREETI JATAV	WARD NO 03 KHIRKIYA MOHALLA GOHAD GOHAD BHD MADHYA PRADESH 477116	84861017	3787	SC		SC/X/F	MS Khairda 23410800102	Dindori-Amarpur
21	SAROJ NAGENDRA	WARD NO 13 KATIYA MOHALLA WARASEONI WARASEONI BLG MADHYA PRADESH 481331	84665368	3791	SC		SC/X/F	M.S.S Dhanwar-9990214	Balaghat-Paraswada
22	ANAMIKA BHALAVI	WARD NO 01 MUNDAPAR BARGHAT BARGHAT SEO MADHYA PRADESH 480667	84942688	3857	ST		ST/X/F	HSS LAKWAH-23440501003	Seoni-Chhapara
23	SNEHLATA JATAV	WARD NO 02 GAUTAM NAGAR SAURA ROAD CHHATA CHHATARPUR CHHATARPUR CHT MADHYA PRADESH 471001	85043694	3953	SC		SC/X/F	HSS KEKDA-23440503005	Seoni-Chhapara
24	NILIMA SONWAY	32 WARD NO 24 SURBHI NAGAR SURBHI NAGAR BALAGHAT BALAGHAT BLG MADHYA PRADESH 481001	84945696	3975	SC		SC/X/F	MS DEVGAON 23420116203	Mandla-Mandla
25	ASHA PADRHA	0 GURUNANAK WARD GOTEGAON GOTEGAON NSP MADHYA PRADESH 487118	84941151	4006	SC		GFSC/X/F	HSS NAGANDEVRI 23440610406	Seoni-Lakhnadon
26	PREMBATI DHURWEY	WARD NO 01 NAG MANDIR GALI BHATERA CHOUKI BALAGHAT BLG MADHYA PRADESH 481001	84761581	6757	ST		ST/X/F	Government High School Jaitpuri-23450905205	Balaghat-Baihar
27	VARSHA PARTE	32 VILL NARELA POST CHAKALDI REHTI SEH MADHYA PRADESH 466446	84666105	11110	ST		GFST/X/F	HS Jambakiradi-23430407705	Chhindwara-Junnardeo
28	VIJAY KUMAR RAHANGDALE	102/3 BAGHOLI BAGHOLI LALBURRA BLG MADHYA PRADESH 481441	84951263	43838	OBC		OBC/S/OP	MS Ramhepur 9990149	Balaghat-Baihar

3. उपरोक्त नियुक्ति वेतनमान पी.बी.–2 (छठवां वेतनमान 9300-34800 + 3200 ग्रेड पे) का मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम–2017 के अंतर्गत मैट्रिक्स में लेवल–8 में तत्स्थानी वेतनमान 32800–103600 के न्यूनतम वेतन रूपये 32800/– अन्य भत्ते जो शासन द्वारा समय–समय पर देय है, के अंतर्गत मध्यप्रदेश

शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञापन क्रमांक सी–3–13 / 2019 / 3 / एक दिनांक 12.12.2019 के बिंदु क्र. (ब) के अनुक्रम में म.प्र. जनजातीय एव अनुसूचित जाति शिक्षण संवर्ग, (सेवा एवं भर्ती नियम) 2018 संशोधित नियम 14 (राजपत्र दिनांक 24 फरवरी 2020) अनुसार वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत, तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड के रूप में देय होगी । परिवीक्षा अवधि (3 वर्ष) सफलता पूर्वक पूर्ण करने पर वेतनमान में न्यूनतम वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जाएगा ।

4. यह नियुक्ति अस्थायी रूप से तीन वर्ष की परिवीक्षा पर की जाती है । परिवीक्षा अवधि सफलता पूर्वक न करने पर म.प्र. जनजातीय एव अनुसूचित जाति शिक्षण संवर्ग, (सेवा एवं भर्ती नियम) 2018 संशोधित नियम 14 (राजपत्र दिनांक 24 फरवरी 2020) के तहत कार्यवाही की जा सकेगी ।

5 संबंधित अभ्यर्थी को मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–5 / एक / 05 / नि / चार दिनांक 02.04.2005 के अनुसार दिनांक 01.01.2005 के पश्चात मध्यप्रदेश शासन के अधीन सिविल सेवा अथवा सिविल पदों पर नियुक्त अधिकारियों / कर्मचारियों को मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ–9 / 3 / 03 / नियम / चार दिनांक 13.04.2005 के प्रावधान अनुसार परिभाषित अंशदान पेंशन योजना लागू होगी ।

6. संबंधित अभ्यर्थी को आदेश दिनांक से 15 दिवस में पदस्थापना स्थल पर उपस्थिति देनी होगी । माध्यमिक शिक्षक पद पर उपस्थिति के समय संबंधित अभ्यर्थी का निम्नानुसार दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे । समस्त अभ्यर्थी आवश्यक समस्त अभिलेखों की मूलप्रति एवं उसकी 3 स्वप्रमाणित प्रतियों के सेट साथ में लायेंगे । अभिलेखों का सत्यापन मूल दस्तावेज से जिले के सहायक आयुक्त / जिला संयोजक, जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति विकास अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी के समक्ष कराएंगे जिसकी सूची निम्नानुसार है :–

I. नियुक्ति आदेश
   6 पासपोर्ट साइज़ फोटो, आधार कार्ड, रजिस्टर्ड मोबाईल नंबर, ई–मेल एड्रेस
II. जाति प्रमाण पत्र (सक्षम स्तर से जारी किया हुआ नवीनतम अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति अन्य पिछड़ा वर्ग एवं EWS)
III. मूल निवासी प्रमाण पत्र
IV. नि:शक्तता / दिव्यांगता का प्रमाण पत्र–न्यूनतम 40 प्रतिशत दिव्यांगता का मेडिकल बोर्ड का वैध प्रमाण पत्र (जिन अभ्यर्थियों की नियुक्ति दिव्यांग श्रेणी में हुई है । अतिथि शिक्षक के अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर हुई है)
V. अतिथि अनुभव प्रमाण पत्र (जिन अभ्यर्थियों की नियुक्ति अतिथि शिक्षक के अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर हुई है)
VI. शासकीय सेवा की स्थिति में विभागीय अनुमति (NOC) अथवा विभागीय अनुमति न होने की स्थिति में संबंधित विभाग को प्रस्तुत सेवा से त्याग पत्र की पावती प्रति
VII. अभ्यर्थी के शैक्षणिक प्रमाण पत्र
VIII. प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड द्वारा जारी स्कोरकार्ड
IX. चरित्र सत्यापन के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ सी–3 / 15 / 2012 / 1 / तीन दिनांक 24.11.2012 के अनुसार शपथ पत्र (परिशिष्ट–एक)

7. संबंधित अभ्यर्थी पदस्थापना स्थल के जिला मुख्यालय पर पदभार ग्रहण करने के उपरांत अपने पदस्थापना स्थल पर पदभार ग्रहण करेंगे । नियुक्ति आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के भीतर मेडिकल बोर्ड का चिकित्सा प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा ।

8. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई होगी एवं किसी भी समय एक माह का नोटिस देकर या उसके बदले में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकेगी । नोटिस दिए जाने के पहले या बाद में यदि

अभ्यर्थी अपने कार्य से बिना पूर्व अनुमति के अनुपस्थित रहेंगे तो यह माना जावेगा कि उन्होंने अनुपस्थिति की तिथि से बिना नोटिस दिये सेवा छोड दी है, ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी को एक माह का अथवा नोटिस की अवधि में जितनी अवधि कम होगी, उतनी अवधि का वेतन तथा भत्तों का भुगतान करना होगा ।

9. परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि विषय मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 एव भर्ती नियम 2018 के प्रावधानों के अंतर्गत शासित होंगे तथा वरिष्ठता का निर्धारण विभाग द्वारा नियुक्ति हेतु निर्धारित किये गये मापदण्डों के अनुसार किया जावेगा ।

10. परिवीक्षा अवधि में अनाधिकृत अनुपस्थिति पर परिवीक्षा अवधि, अनुपस्थिति की अवधि तक के लिए आगे बढा दी जायेगी ।

11. संबंधित का आगामी 3 वर्षो तक सामान्यतः स्थानांतरण नहीं किया जाएगा ।

12. अनुसूचित क्षेत्रों में पदस्थ कर्मचारियों को शासन नियम अनुसार अनुसूचित क्षेत्र भत्ता नियमानुसार दिया जायेगा ।

13. आवासीय विद्यालयों में जहॉ आवासीय सुविधा उपलब्ध है उन विद्यालयों में आवास आवंटन की पात्रता होगी ।

14. इस जारी आदेश में पोस्टिंग प्लेस पर वर्तमान स्थिति में पद रिक्त न होने की दशा में, ऐसे अभ्यर्थी को तत्समय रिक्त पदों वाली अन्य जिला अर्न्तगत संस्थाओं में पदस्थी का विकल्प रहेगा । नवीन विकल्प पर पदस्थापना मेरिट एवं मापदंडो अनुसार की जा सकेगी । जिले से बाहर पदस्थापना मुख्यालय के अनुमोदन उपरांत की जावेगी ।

विशेष टीपः– यदि चरित्र/जाति/निःशक्तता/शैक्षणिक इत्यादि दस्तावेज सत्यापन की रिपोर्ट में गलत या असत्य पाये जाते हैं अथवा अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र भविष्य में कभी भी फर्जी अथवा असत्य पाये जाते हैं तो संबंधित की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी ।

(हस्ताक्षर)
संभागीय उपायुक्त
अनुसूचित जाति एवं जनजातीय कार्य
जबलपुर संभाग जबलपुर

पृ.क्रमांक/शिक्षा.स्था.3/766/मा.शि./2021/ भोपाल दिनांक 08/04/2022

प्रतिलिपिः–

1. विशेष सहायक मान. मंत्रीजी, म.प्र. शासन जनजातीय कार्य विभाग भोपाल ।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन जनजातीय कार्य विभाग मंत्रालय भोपाल ।
3. सचिव, म.प्र. शासन वित्त विभाग मंत्रालय भोपाल ।
4. महालेखाकार म.प्र. ग्वालियर ।
5. आयुक्त, जनजातीय कार्य म.प्र. भोपाल ।
6. आयुक्त, जबलपुर संभाग जबलपुर ।
7. कलेक्टर जबलपुर,कटनी,मंडला, डिण्डोरी,छिन्दवाडा,बालाघाट,सिवनी ।
8. सहायक आयुक्त, जनजातीय कार्य जबलपुर,कटनी,मंडला, डिण्डोरी,छिन्दवाडा,बालाघाट,सिवनी की ओर सूचनार्थ कर निर्देशित किया जाता है कि आपके जिले में पदांकित संबंधित सभी अभ्यर्थियों की उपस्थिति की व्यवस्था सुनिश्चित करें एवं पदांकित अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का मूल अभिलेखों से मिलान कर संतुष्ट होने पर ही पदांकित संस्था में पदभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें ।

(हस्ताक्षर)

दस्तावेज सत्यापन अथवा अभ्यर्थी की योग्यता/पात्रता के संबध में कोई विसंगति पाए जाने पर इस कार्यालय को तत्काल सूचित कर मार्गदर्शन प्राप्त करें ।

9. जिला कोषालय अधिकारी जबलपुर,मंडला डिण्डोरी,छिन्दवाडा,बालाघाट,सिवनी, ।
10. संबंधित विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी जिला जबलपुर,कटनी,मंडला डिण्डौरी,छिन्दवाडा,बालाघाट, सिवनी ।
11. संबंधित संकुल प्राचार्य शा.उ.मा.वि./हाई स्कूल जिला जबलपुर,कटनी,मंडला डिण्डोरी,छिन्दवाडा, बालाघाट, सिवनी चैयनित अभ्यर्थियों को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त नियुक्ति आदेश में विहित शर्तो से सहमत होने की दशा मे पदांकित जिले के सहायक आयुक्त/जिला संयोजक को अपनी उपस्थिति देवें ।

संभागीय उपायुक्त
अनुसूचित जाति एवं जनजातीय कार्य
जबलपुर संभाग जबलपुर